

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल सहरसा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल, सहरसा का दिनांक-29.11.2025 को आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यावली :-

उपस्थिति :-

1. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा — अध्यक्ष
 2. अपर समाहर्ता, सहरसा — सदस्य
 3. संयुक्त आयुक्त -सह- सचिव, — सदस्य सचिव
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा

दिनांक-30.08.2025 को सम्पन्न बैठक के निर्णय के अनुपालन :-

गत बैठक 30.08.2025 से अब तक के कार्यों की सम्पुष्टि :-

कार्यावली संख्या — 1 27.09.2025 से 28.11.2025 तक की गई कार्य की विवरणी।

कार्यावली संख्या -02 - वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए राजस्व वसूली में और अधिक तेजी लाने का निदेश दिया गया।

कार्यावली संख्या -03

अन्यान्य:- विमर्श का बिन्दु।

कार्यावली संख्या -04

बस/मिनी बस के स्थायी परमिट पर विचार के क्रम में प्राधिकार बोर्ड की बैठक में परिचालित सभी बसों में महिलाओं एवं दिव्यांगों का सीट आरक्षित करने, अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की/दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट एड की व्यवस्था आवश्यक रूप से रहनी चाहिए, पर निर्णय लिया गया, साथ ही सचिव को निदेशित किया जाता है कि परमिट देने के पूर्व निर्धारित माप-दंड के अनुसार सभी अपेक्षित कागजातों की जाँच कर लेंगे, तत्पश्चात परमिट पर विचार करते हुए निम्न निर्णय लिये गये।

क्र० सं०- 01 से 09 पर बस/मिनी बस के स्थायी परमिट पर विचार :-

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या/प्रकार	निर्धारित स्थिति	मार्ग/भाया	खेप में आ० एवं प्रस्थ०	स्थायी परमिट आवेदन शुल्क	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रणव कुमार सिंह	BR19J-9117 BUS	08-02-2016	सहरसा से गिरधरपट्टी कुल दुरी- 100X4=400 कि०मी०	मार्ग सं०-4587 दो खेप अप-डाउन अप- सहरसा-प्र०-23:25 गिरधरपट्टी आ०-03:50 डाउन-गिरधरपट्टी -प्र०-04:50 सहरसा -आ०-10:00 अप- सहरसा-प्र०-13:39 गिरधरपट्टी आ०-18:35 डाउन-गिरधरपट्टी -प्र०-18:50 सहरसा -आ०-23:05	10,000	स्वीकृत
2	श्री अक्षय कुमार	BR19P-8333 BUS	20-02-2019	सहरसा से अररिया कुल दुरी- 118X4=472 कि०मी०	मार्ग सं०-2096 दो खेप अप-डाउन अप-सहरसा-प्र०-07:40 अररिया आ०-12:55 डाउन-अररिया -प्र०-13:25 सहरसा आ०-19:30 अप-सहरसा-प्र०-21:45 अररिया आ०-02:00 डाउन-अररिया -प्र०-02:20 सहरसा आ०-06:20	10,000	स्वीकृत

२५

3	श्री अमरनाथ सिंह	BR19G-7336 BUS	24-06-2015	खगड़िया से गम्हरिया कुल दुरी- 113X2=226 कि०मी०	मार्ग सं०-4536 एक खेप अप-डाउन अप-खगड़िया-प्र०-07:23 गम्हरिया आ०-11:43 डाउन-गम्हरिया प्र०-14:35 खगड़िया - आ०-18:45	10,000 + 5,500 (संशोधन)	वाहन मॉडल के अनुसार दिनांक 23.06.2030 तक परिचालन योग्य। स्वीकृत
4	श्री इन्द्रदेव यादव	BR19F-3186 BUS	13-04-2013	सहरसा से फारबिसगंज कुल दुरी-123X2=246 कि०मी०	मार्ग सं०-4600 एक खेप अप-डाउन अप-सहरसा-प्र०-09:00 फारबिसगंज आ०-14:15 डाउन-फारबिसगंज-प्र०-15:08 सहरसा आ०-20:19	10,000 + 5,500 (संशोधन)	वाहन मॉडल के अनुसार दिनांक 12.04.2028 तक परिचालन योग्य। आवेदक के प्रकाशित समय सारणी पर वाहन संख्या BR19F-4829 का आपत्ति प्राप्त। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदक के वाहन पर पिपरा पड़ाव से उनके वाहन से एक मिनट पिछे खुलने तथा ओवरटेक करके 24 मिनट में सिंहेश्वर पहुंचने का आपत्ति दर्ज कराया गया। सिंहेश्वर पड़ाव पर दोनों वाहन के प्रस्थान के समय में 5 मिनट का अंतराल है। प्राधिकार के नियम के अनुसार पिछे खुलने वाली वाहन पर आपत्ति मान्य नहीं है। तथा पिपरा से सिंहेश्वर के बीच की दुरी 24 मिनट में तय किया जाना ओवर स्पीड के अंतर्गत नहीं आता है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है। स्वीकृत
5	श्री दिलीप कुमार	BR50P-1106 BUS	15-09-2012	मधेपुर से सुपौल कुल दुरी-78X4=312 कि०मी०	मार्ग सं०-4605 डाउन दो खेप अप-डाउन अप-मधेपुर-प्र०-06:07 सुपौल आ०-08:59 डाउन-सुपौल-प्र०-09:16 मधेपुर आ०-11:54 अप-मधेपुर-प्र०-11:58 सुपौल आ०-14:38 डाउन-सुपौल-प्र०-15:09 मधेपुर आ०-18:30	10,000	वाहन मॉडल के अनुसार दिनांक 14.09.2027 तक परिचालन योग्य। आवेदक के प्रस्तावित समय सारणी पर ओवर स्पीड का आपत्ति प्राप्त। निर्णय-सचिव आपत्ति के बिन्दु की सुनवाई कर निर्णय लेंगे।
6	श्री बिट्टु कुमार	BR19I-5265 BUS	27-05-2016	सुपौल से जोगबनी कुल दुरी-97X6=582 कि०मी०	मार्ग सं०-4613 तीन खेप अप-डाउन अप-सुपौल-प्र०-05:09 जोगबनी आ०-08:32 डाउन-जोगबनी-प्र०-10:40 सुपौल आ०-15:05 अप-सुपौल-प्र०-16:19 जोगबनी आ०-19:56 डाउन-जोगबनी-प्र०-19:59 सुपौल आ०-22:26 अप-सुपौल-प्र०-22:28 जोगबनी आ०-01:06 डाउन-जोगबनी-प्र०-01:22 सुपौल आ०-04:55	10,000	स्वीकृत
7	श्रीमति पुष्पा देवी	BR50P-0171 BUS	27-08-2025	कटिहार से नौहट्टा कुल दुरी-177X2=354 कि०मी०	मार्ग सं०-4460 एक खेप अप-डाउन अप-कटिहार-प्र०-05:44 नौहट्टा आ०-13:44 डाउन-नौहट्टा-प्र०-13:45 कटिहार आ०-19:59	10,000	स्वीकृत
8	श्री रिकु कुमार यादव	BR19P-5905 BUS	14-10-2025	सोनवर्षा से किशनगंज कुल दुरी-210X2=420 कि०मी०	मार्ग सं०-4430 एक खेप अप-डाउन अप-सोनवर्षा-प्र०-05:00 किशनगंज आ०-13:00 डाउन-किशनगंज-प्र०-15:05 सोनवर्षा आ०-22:30	10,000	स्वीकृत
9	श्री सुधाकर कुमार सिंह	BR19P-5193 BUS	13-06-2025	बिसनपुर से सहरसा कुल दुरी-66X4=264 कि०मी०	मार्ग सं०-4473 दो खेप अप-डाउन अप-बिसनपुर-प्र०-03:20 सहरसा आ०-06:35 डाउन-सहरसा-प्र०-07:00 बिसनपुर आ०-10:00	10,000	स्वीकृत

✍

अप-बिसनपुर-प्र0-10:10
सहरसा आ0-13:05
डाउन-सहरसा-प्र0-14:05
बिसनपुर आ0-17:35

प्राधिकार बोर्ड का आदेश अपेक्षित है।

कार्यावली संख्या -05 वैसे वाहन जिसे दूसरे प्राधिकार से स्थाई परमिट प्राप्त है, के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रतिहस्ताक्षर की घटनोत्तर स्वीकृति/प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर विचार :-

क्र सं.	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या/प्रकार	मॉडल	मार्ग/भाया	खेप में आ0 एवं प्रस्था0	प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन शुल्क	अभ्युक्ति
1	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-2258 BUS	14-08-2016	दरभंगा से रानीपट्टी	दो अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से रानीपट्टी डाउन-रानीपट्टी से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2849A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
2	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-3085 BUS	29-06-2018	दरभंगा से बीरपुर	दो अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन-बीरपुर से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2906A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
3	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-8298 BUS	28-05-2024	रानीपट्टी से दरभंगा	तीन अप-डाउन खेप अप-रानीपट्टी से दरभंगा डाउन-दरभंगा से रानीपट्टी अप- रानीपट्टी से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2907A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
4	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-9566 BUS	31-08-2025	दरभंगा से बीरपुर	तीन अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन-बीरपुर से दरभंगा अप-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2932A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
5	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-9567 BUS	31-08-2025	बीरपुर से दरभंगा	तीन अप-डाउन खेप अप-बीरपुर से दरभंगा डाउन-दरभंगा से बीरपुर अप-बीरपुर से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2931A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
6	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-9568 BUS	31-08-2025	दरभंगा से बीरपुर	तीन अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन-बीरपुर से दरभंगा अप-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2930A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
7	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-9569 BUS	31-08-2025	दरभंगा से बीरपुर	तीन अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन- बीरपुर से दरभंगा अप- बीरपुरसे दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2933A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
8	श्री गौरी शंकर झा	BR43P-9831 BUS	31-03-2023	दरभंगा बस स्टैण्ड से मधेपुरा	दो अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से मधेपुरा डाउन-मधेपुरा से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2605A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
9	श्री मनोज कुमार	BR38P-9669 BUS	26-10-2018	दरभंगा से बीरपुर	दो अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन-बीरपुर से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2934A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत

६५

	श्री कृष्ण मोहन	BR34P-6487 BUS	03-08-2023	आलमनगर से खगड़िया	तीन अप-डाउन खेप अप-आलमनगर से खगड़िया डाउन-खगड़िया से आलमनगर अप-आलमनगर से खगड़िया	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2123A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
11	श्री कृष्ण मोहन	BR34P-6399 BUS	07-02-2023	आलमनगर से खगड़िया	तीन अप-डाउन खेप अप-आलमनगर से खगड़िया डाउन-खगड़िया से आलमनगर अप-आलमनगर से खगड़िया	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-3016A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
12	श्री अमरेन्द्र कुमार	BR11R-9418 BUS	04-12-2013	आलमनगर से खगड़िया	दो अप-डाउन खेप अप-आलमनगर से खगड़िया डाउन-खगड़िया से आलमनगर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-1783A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
13	श्रीमति रंजुधारी सिंह एवं प्रतीक कुमार सिंह	BR07PD-3793 BUS	18-04-2025	दरभंगा से बीरपुर	तीन अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन-बीरपुर से दरभंगा अप-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2645A श्री धितरंजन कुमार (BR19F-3497) से आपत्ति प्राप्त। वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता के बीच आपत्ति के बिन्दु पर समझौता हुआ। स्वीकृत
14	श्रीमति रंजुधारी सिंह एवं प्रतीक कुमार सिंह	BR07PD-3791 BUS	18-04-2025	बीरपुर से दरभंगा	दो अप-डाउन खेप अप- बीरपुर से दरभंगा डाउन- दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2642A श्री नवीन कुमार (BR43PA-2336) एवं श्री अभिरंजन कुमार (BR19P- 3497) से आपत्ति प्राप्त। वाहन स्वामी एवं आपत्तिकर्ता के बीच आपत्ति के बिन्दु पर समझौता हुआ। स्वीकृत
15	श्री विशेश्वर रजक	BR50P-7932 BUS	16-11-2023	बीरपुर से दरभंगा	एक अप-डाउन खेप बीरपुर से दरभंगा	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2185A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
16	श्रीमति रंजुधारी सिंह एवं प्रतीक कुमार सिंह	BR07PD-3790 BUS	18-04-2025	दरभंगा से बीरपुर	तीन अप-डाउन खेप अप-दरभंगा से बीरपुर डाउन- बीरपुर से दरभंगा अप-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2644A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
17	श्रीमति ऐश्वर्या सिंह	BR07PC-6539 BUS	14-09-2022	बीरपुर से दरभंगा	दो अप-डाउन खेप अप-बीरपुर से दरभंगा डाउन-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2637A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
18	श्री प्रतीक कुमार सिंह	BR07PC-9528 BUS	21-12-2023	बीरपुर से दरभंगा	दो अप-डाउन खेप अप- बीरपुर से दरभंगा डाउन-दरभंगा से बीरपुर	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-2659A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत
19	श्री कृष्ण मोहन	BR34P-6292 BUS	12-05-2022	आलमनगर से खगड़िया	तीन अप-डाउन खेप अप-आलमनगर से खगड़िया डाउन-खगड़िया से आलमनगर अप-आलमनगर से खगड़िया	5,500	दरभंगा प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट संख्या BR2025-SC-3015A कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत

प्राधिकार बोर्ड का आदेश अपेक्षित है।

कार्यावली संख्या-06 इस प्राधिकार से पूर्व से निर्गत एजेंट लाईसेन्स के नवीकरण करने पर
विचार :-

क्र. सं.	नाम एवं पूरा पता	स्टैण्ड का नाम	वांछित कागजात	चालान द्वारा बैंक में जमा विहित शुल्क	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6

६ +

1	श्री मोदस्सर नजर, पिता-मो0 ईदरीश, पता-ग्राम+पो0-खोखसी थाना-गवालपारा, जिला-मधेपुरा	खोखसी बस पड़ाव	1 चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त) 2 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र मैट्रीक पास 3 आधार कार्ड	3450/-	लार्डसेंस की वर्तमान वैधता 11.09.2025 तक। स्वीकृत
2	श्री राज कुमार साह, पिता-रघु शिवजी साह, पता-ग्राम+पो0-सिमराही थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल	सिमराही बस पड़ाव	1 चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक, सुपौल से प्राप्त) 2 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र मैट्रीक पास 3 आधार कार्ड	3450/-	लार्डसेंस की वर्तमान वैधता 29.11.2025 तक। स्वीकृत

इसके अतिरिक्त वाहनों के स्थाई परमिट पर विचार करते हुए प्राधिकार बोर्ड की बैठक में वाहन स्वामियों के लिए निम्नांकित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करने पर निर्णय लिया गया :-

- वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट बस में अवश्य होनी चाहिए।
- वाहनों में अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की/दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड की व्यवस्था अवश्य रूप से रहनी चाहिए।
- वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों/वस्तुओं का वहन नहीं किया जाना है।
- सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के अधीन वाहनों में परावर्ती टेप (Reflective Tape) लगाना अनिवार्य है।
- वाहन में ड्राइवर का नाम/पता/मोबाईल नं0 चालक के बगल वाले दरवाजे पर लिखित रूप में होनी चाहिए।
- यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा। मार्ग की जानकारी वाहन के दरवाजे पर हिन्दी के साथ-साथ उर्दू में भी अवश्य रूप से लिखित होनी चाहिए।
- सवारी मोटर का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित सवारीमोटर की समय-सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी।
- नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अन्दर, जो विहित किए जा, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।
- यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएंगे।
- अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लिये जायेंगे।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उसकी उद्धरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किरायों या यात्री किराया दरों की विशिष्टियाँ सवारीमोटर पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जायेगी।
- यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जायेगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा, जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन के बिना परमिट के शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात् परमिट के शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा तथा परमिट पर अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा।
- महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अशिष्ट भाषा, किसी धर्म/समुदाय विशेष को आहत करने वाले गाने एवं विडियों का प्रदर्शन/चालन बसों में नहीं किया जाएगा।
- व्यवसायिक समानों का लदान बसों पर नहीं किया जाएगा।
- कोई भी बस मालिक वैध एजेन्ट लार्डसेंस प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में बहाल नहीं करेंगे।
- प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।
- प्रत्येक वाहन स्वामी बस/मिनीबस के दरवाजे पर प्राधिकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत भाड़ें की दर को निश्चित रूप प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी वाहन स्वामी वाहन के बाँड़ी के दायी एवं बायी तरफ बड़े एवं गहरे अक्षरों में पीली सतह पर काले रंग से परमिट संख्या एवं उसकी वैधता तिथि का स्पष्ट अंकण कराना सुनिश्चित करेंगे।

६ ७

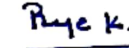
- xxii. सभी वाहन स्वामी कोविड 19 के मददेनजर प्राप्त विभागीय निदेशानुसार बस में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
- xxiii. निर्दिष्ट नाम, वाहन संख्या, समय सारणी आदि में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है, तो कार्यालय में संधारित संचिका में दर्ज अभिलेख सही मानी जाएगी।
- xxiv. किसी वाहन स्वामी द्वारा गतिसीमा का उल्लंघन कर प्रस्तुत समय सारणी आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात भी कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करना होगा।

सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यर्पित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पीछे भाग के फोटो एवं शपथ पत्र के साथ एक माह के अंदर वांछित अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा ले। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द कर दिया जायेगा।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


अपर समाहर्ता, सहरसा
—सदस्य—


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।


29/11/25.
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ज्ञापांक:- 446-1

सहरसा, दिनांक:- 29/11/2025

- प्रतिलिपि :-
1. उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. जिला परिवहन पदाधिकारी/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. मोटरयान निरीक्षक, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 5. कोशी कमिश्नरी बस ऑनर्स एसोसिएशन सहरसा एवं संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।